HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun
E-mail : msukpcb@yahoo.com, Phone No.-0135-2607092

UKPCB/HO/NOC-7927/2024/ 269

Dated : 31 .05.2024

To,

Speed Post

The Chairman,
State Environment Impact Assessment Authority,
C/o. Directorate of Environment & Climate Change,
Gaura Devi Paryavaran Bhawan,
46B, III Floor, IT Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand).

Sub:- Minutes of Public Hearing of Sh. Khadak Singh Dafauti for Chauni Chamadthal & Nayal Soapstone Mining Project (Area-4.944 Hect.) at Vill. Chauni Chamadthal & Nayal, Tehsil & Distt. Bageshwar.

Sir,

This is to inform you that the Uttarakhand Pollution Control Board has conducted the Public Hearing of Sh. Khadak Singh Dafauti for Chauni Chamadthal & Nayal Soapstone Mining Project (Area-4.944 Hect.) at Vill. Chauni Chamadthal & Nayal, Tehsil & Distt. Bageshwar. The copy of the minutes of Public Hearing alongwith video recording, photography of entire Public Hearing and copy of attendence sheet are enclosed herewith for your kind perusal, please.

Enclosed :- as above.

Yours faithfully,

(Dr. Parag Madhukar Dhakate),
Member Secretary

Letter No.:UKPCB/HO/NOC-7927/2024/ Dated as Above.

Copy to :-

1. **District Magistrate, Bageshwar** for kind information and with request to display the minutes of public hearing at your office for general information, please.
2. **Regional Officer, UKPCB, Haldwani** with the direction to display the minutes of public hearing at your office for general information, please.
3. **Sh. Khadak Singh Dafauti, S/o Sh. Kundan Singh Dafauti, Vill. Nayal, P.O. Chamadthal, Tehsil & Distt. Bageshwar,** copy of minutes of public hearing alongwith photographs, videos & attendance sheet for kind information and with request to display the minutes of public hearing to the office of the panchayat/Urban Local Bodies, whose jurisdiction the project is located for general information, please.
4. **Information Officer, EIACP, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun** with request to upload of minutes of public hearing to Board's website on priority basis.

Member Secretary

मैसर्स श्री खड़क सिंह दफौटी चौनी चमड़थल एवं नायल सोप स्टोन माइनिंग तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 15.02.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैसर्स श्री खड़क सिंह दफौटी चौनी चमड़थल एवं नायल सोप स्टोन माइनिंग तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 4.944 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 14.02.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के कम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 15.03.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदकम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2024 को निकट परियोजना स्थल ग्राम दफौट मोहन नगर खेल मैदान तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्कम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एण्ड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री भुवन जोशी द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि माईनिंग/खनन समयान्तर्गत देश /प्रदेश के राजस्व के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में प्रोजेक्ट बी 1 श्रेणी में एस0ई0आई0ए0ए0 (सिया उत्तराखण्ड) द्वारा टी0ओ0आर0 (TOR) दिनांक 29 अगस्त,2023 को निर्गत हुआ है। प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से 52 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन क्षेत्र में प्रतिबन्धित क्षेत्र यथा आवासीय भवन, मोटर मार्ग, पहुँच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युल लाईन व धार्मिक स्थल आदि इस प्रकार का कोई प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं है। खदान पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि गैर वन कृषि भूमि है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। खनन क्षेत्रान्तर्गत धूल को दबाने के लिए शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी के छिड़काव का प्राविधान किया गया है। सोपस्टोन खनन में कोई ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी। प्रस्तावित माईन में कार्य करने हेतु 03 पिट प्रस्तावित की गई हैं,

क्रमशः– 2

माईन में कार्य सेमी मेकेनाईज्ड पद्धति से किया जायेगा, ऊपरी सतह में निकाली गई मिट्टी को लीज क्षेत्र में रखा जायेगा, खदान क्षेत्र में विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खदान में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रथम 05 वर्षों में कुल– 1,00,000 टन अनुमानित मात्रा का उत्पादन किया जाना है। वन विभाग, कृषि विभाग, जिला प्रशासन व अन्य जनप्रतिनिधियों के परामर्श के आधार पर खनन पट्टा क्षेत्र की सीमाओं के साथ जल निकाय, सड़कों, वन पंचायत भूमि के आसपास प्रतिवर्ष 1000 पौधों की दर से 05 वर्षों तक 5000 देशी प्रजातियों के फलदार वृक्षों का रोपण किये जाने का प्राविधान किया गया है। वन जीवन की संवदेनशीलता एवं महत्व के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा। आरक्षित वन क्षेत्र में श्रमिकों व वाहनों के आवागमन के लिए कोई पथ या नई सड़क नहीं बनायी जानी चाहिए इससे वन विखण्डन, अतिक्रमण और मानव पशु मुठभेड को रोका जा सकेगा। अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी। वन क्षेत्र में हॉन की अनुमति नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) सीपीसीबी मापदण्डों के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमन्य सीमा के भीतर होगा। खदान का संचालन खनन की ओपनकास्ट सह अर्ध–मशीनीकृत विधि से किया जायेगा। अयस्क की कठोर प्रकृति के कारण किसी अन्य वैकल्पिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जायेगा। खदान के आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जायेगा। परियोजना के माध्यम से सी0ई0आर0 कार्यक्रम लागत के लिए बजट की कुल धनराशि रू0– 1.20 (लाख में) तथा सी0एस0आर0 की कुल धनराशि रू– 04.00 (लाख में) रखी गयी है जिसको जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रथम वर्ष में धनराशि रू0– 8.90(लाख में) एवं बाद के वर्षों हेतु रू0– 21.11 (लाख में) का प्राविधान रखा गया है। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन प्रबन्धन का सक्षमता प्रमाण पत्र रखने वाले एक योग्य खान प्रबन्धक के नियंत्रण और निर्देशन के तहत सम्पूर्ण खनन कार्य किया जायेगा, इसके अतिरिक्त खनन कर्मचारियों को अदयतन रखने के लिए समय–समय पर पुनश्चर्या पाठयक्रमों में भेजा जायेगा। आपदा प्रबंधन की योजना बनाने में आपातकालीन तैयारी एक महत्वपूर्ण पहलू है, खनन कर्मियों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा और सावधानीपूर्वक नियोजित, नकली प्रकियाओं के माध्यम से आपातकालीन प्रतिकिया में मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जायेगा। इसी तरह प्रमुख कर्मियों और आवश्यक कर्मियों को संचालन में प्रशिक्षित किया जायेगा। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। खनन गतिविधियां पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के आगे बढ़ सकती है। प्रस्तावित सोपस्टोन खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जन शक्ति की आवश्यकता होगी, स्थानीय लोगों को वरीयता प्रदान की जायेगी। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत है:–

क्रमशः–3

1. श्री आनन्द तिवारी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) ग्राम नायल तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री तिवारी द्वारा जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी बागेश्वर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी, उपस्थित कार्मिक एवं सम्भ्रान्त जनता का जनसुनवाई में अभिनन्दन करते हुए कहा गया कि ग्राम नायल में पट्टाधारक श्री खड़क सिंह दफौटी पूर्व से ही खनन कार्य करते आ रहे हैं। परियोजना के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पट्टाधारक एक सामाजिक व्यक्ति है जिनके द्वारा क्षेत्रान्तर्गत के समसत सामाजिक कार्यों में पूर्ण सहयोग किया जाता है। पट्टाधारक के खनन कार्य से ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं है।
2. श्री ललित प्रसाद जोशी ग्राम चौनी तहसील व जनपद बागेश्वर— पट्टाधारक श्री खड़क सिंह दफौटी द्वारा खनन के माध्यम से क्षेत्रान्तर्गत सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं। श्री दफौटी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। खनन कार्य से ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं है।
3. श्री मदन राम (जिला पंचायत सदस्य, जेठाई) तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री मदन राम द्वारा कहा गया कि पट्टाधारक के खनन कार्य से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
4. श्री रघुवीर दफौटी ग्राम नायल तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री रघुवीर दफौटी द्वारा कहा गया कि यदि क्षेत्रान्तर्गत वैधानिक/वैज्ञानिक रूप से खनन कार्य होता है तो खनन कार्य से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
5. श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम तुनेड़ा तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वह पट्टाधारक के खनन क्षेत्र में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं। खनन कार्य अच्छा चल रहा है। खनन कार्य से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
6. श्री पुष्कर सिंह दफौटी ग्राम नौगांव तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री दफौटी द्वारा कहा गया कि पट्टाधारक का खनन कार्य अच्छा चल रहा है। जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु क्षेत्रान्तर्गत जंगलों में वनाग्नि होने पर वन विभाग द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है।
7. श्री संतोष दफौटी प्रधान ग्राम पंचायत नायल तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री दफौटी द्वारा क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य के माध्यम से अच्छा कार्य किया जा रहा है। पट्टाधारक के खनन कार्य से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि आपसे प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा। आपसे प्राप्त सुझाव/आपत्तियां प्रस्तावित परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित ग्रामीणों से सी0एस0आर0 फण्ड की धनराशि से पट्टाधारक द्वारा किये गये कार्यों के संबंध में पृच्छा की गयी जिस संबंध में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टाधारक द्वारा मंदिर हेतु पहुँच मार्ग, मंदिर का सौन्दर्यीकरण, रास्तों का निर्माण, इण्टर कॉलेज दफौट में गरीब बच्चों की फीस का भुगतान, खेल सामग्री वितरण आदि कार्य किये गये हैं तथा क्षेत्रान्तर्गत खनन न्यास से अन्य विकास कार्य भी गतिमान हैं। सी0एस0आर0 फण्ड में प्राविधानित धनराशि से क्षेत्रान्तर्गत के किसी एक विद्यालय को चयनित कर स्मार्ट क्लास संचालित किये जाने हेतु उपकरणों का वितरण व पब्लिक टॉयलेट बनाये जाने की अपेक्षा पट्टाधारक से की गयी तथा जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों से सी0एस0आर0 फण्ड में प्राविधानित फण्ड से किये जाने वाले कार्यों का भी पर्यवेक्षण किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया।

क्रमशः—4

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नेबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।